झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 707 / 2023

---

1. शेख असरफ अली उर्फ अशरफ अली शेख उर्फ असरफ अली शेख, उम्र करीब 44 वर्ष, पिता- एस.के. मुजफ्फर
2. शेख अजगर अली, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता -एस.के. मुजफ्फर
3. शेख मजाफ्फर उर्फ शेख मजाफ्र, उम्र करीब 67 वर्ष पिता- एस.के. सोवन, सभी गांव- दिघासीपुर, चकद्वीप डाकघर.और थाना- भवानीपुर, जिला- मेदनीपुर (डब्ल्यू.बी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य पुलिस अधीक्षक, धनबाद डाकघर और थाना. एवं जिला - धनबाद, झारखंड
2. प्रभारी अधिकारी, बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन, डाकघर और थाना. एवं जिला - धनबाद, झारखंड
3. पुलिस उपनिरीक्षक-सह-जांच अधिकारी, बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन, डाकघर और थाना. एवं जिला - धनबाद, झारखंड
4. विक्की कथूरिया, पिता- शिव प्रसाद कथूरिया, निवासी ओजोन एक्सोटिका, मैजेस्टिक ब्लॉक, 6वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 605, श्रीराम प्लाजा के पीछे, बैंक मोड़, डाकघर और थाना.- बैंक मोड़, जिला- धनबाद, झारखंड

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए:	श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता।
प्रतिवादी-राज्य के लिए:	श्री राकेश रंजन, एसी टू जीए ।
प्रतिवादियों के लिए:	श्री शैलेश कुमार

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें बैंक मोर पीएस के संबंध में एफआईआर सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। मामला संख्या 22/2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 465, 467, 468, 470, 120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है (अनुलग्नक 1) जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मेसर्स फाइव स्टार लॉजिस्टिक्स (पी) लिमिटेड के निदेशक हैं और याचिकाकर्ताओं ने एक सुनियोजित साजिश के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध करके रुपये लिए। 50,00,000/- 09.12.2020 को मुखबिर से लिया जो निदेशक है मेसर्स बेरी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद उन्होंने 10.12.2020 को रु. 60,00,000/- और 11.12.2020 को रु. 40,00,000/- भी लिए और कुल मिलाकर उन्होंने 1,50,00,000/- रुपये ऋण के रूप में लिए और आश्वासन दिया कि इसे 45 दिनों के भीतर 30,00,000/- रुपये के गारंटीड लाभ के साथ वापस कर देंगे यानी वे कुल मिलाकर 1,80,00,000/- रुपये वापस कर देंगे लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया और इसके बजाय मुखबिर को जान से मारने की धमकी दी और जब मुखबिर ने अपना पैसा वापस मांगा। कंपनी के रजिस्ट्रार ने सूचक की शिकायत पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया और नोटिस प्राप्त होने पर उन्होंने सूचक को भुगतान करने का आश्वासन दिया लेकिन भुगतान नहीं किया। याचिकाकर्ता ने एक वकील के माध्यम से एक पत्र लिखा जिसमें 61,01,528/- रुपये का भुगतान करने का वादा किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ कुल मूल बकाया 95,00,000/- रुपये था और ब्याज 4,88,00,000/- रुपये आया और कुल मिलाकर, सूचक 5,83,00,000/- रुपये का भुगतान करने का हकदार था। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने बैंक मोड़ पीएस मामला संख्या 22/2023 दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता-विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने उन भौतिक तथ्यों को दबा दिया है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत मामला संख्या दायर की थी। 4593/2022 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद

की अदालत में और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद ने दिनांक 20.07.2022 के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया और सूचक ने सीआर रिव. संख्या 122/2022 दायर की, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

5. **सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए (2023) 5 एससीसी 360 में रिपोर्ट किया गया, जिसका पैरा

*"**13** इस प्रकार है:- 13. अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है। केवल वादा पूरा न करने के आरोप के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 2 ने पहली शिकायत दर्ज होने के बाद से ही अपने मामले में सुधार किया है, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, बल्कि यह केवल प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ था, जिसके बाद की शिकायतों में अपीलकर्ता का नाम था। पहली शिकायत में, प्रतिवादी 2 द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए एकमात्र अनुरोध किया गया था। जब पहली शिकायत के आधार पर अपराध का पता चला, तो दूसरी शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाते हुए सुधारित संस्करण के साथ दायर किया गया, जो पहले की शिकायत में नहीं था। पूरा विचार एक सिविल विवाद को आपराधिक में बदलना और कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए अपीलकर्ता पर दबाव डालना प्रतीत होता है। आपराधिक अदालतों का उपयोग स्कोर तय करने या सिविल विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता है। जहाँ कहीं भी आपराधिक अपराध के तत्व सामने आते हैं, आपराधिक न्यायालयों को संज्ञान लेना पड़ता है।जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वह बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के लगभग तीन साल बाद दर्ज की गई थी। कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। (जोर दिया गया) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को*

जन्म नहीं देता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इसके बाद **सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। (2019) 9 एससीसी 148 में रिपोर्ट की गई, जिसका पैरा 14 इस प्रकार है:-

*"**14.** इसके अलावा, इस न्यायालय ने कई मामलों में आमतौर पर सिविल विवादों को आपराधिक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है, जैसे कि संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन (ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य देखें [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188: (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160: (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988])। विधायिका का इरादा केवल उन उल्लंघनों को आपराधिक बनाना है जो धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक प्रलोभनों के साथ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धारा 415 आईपीसी के तहत अनैच्छिक और अक्षम स्थानान्तरण होते हैं।" और प्रस्तुत करता है कि जब तक संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक प्रलोभन के साथ नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वैच्छिक और अकुशल हस्तांतरण होता है, आईपीसी की धारा 415 के तहत, आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।*

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इसके बाद **पंकज कुमार और अन्य बनाम झारखंड** राज्य और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया, (2023) एससीसी ऑनलाइन झार 1576 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस अदालत ने उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, (2005) 10 एससीसी 336 में रिपोर्ट किया गया, जिसका पैरा 6 इस प्रकार है:

"6. xxxx xxxx xxxx यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरू में कोई धोखा दिया गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरू में आरोपी व्यक्तियों की ओर से

धोखा देने का कोई इरादा था जो कि धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। (जोर दिया गया)"

और माना कि इस बात के किसी भी आरोप के अभाव में कि याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही शिकायतकर्ता/विपरीत पक्ष संख्या 2 को धोखा देने का कोई इरादा था और जब आरोपी को सौंपी गई राशि का आंशिक भुगतान किया गया था, तो आरोप आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर में ही एक शिकायतकर्ता की यह स्वीकारोक्ति कि याचिकाकर्ताओं द्वारा ली गई मूल राशि 1,50,00,000/- रुपये के विरुद्ध मूल बकाया राशि 95,00,000/- रुपये शेष थी, इसका अर्थ यह है कि सूचक स्वयं स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ताओं ने उसे 55,00,000/- रुपये का भुगतान किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही सूचक को धोखा देने का इरादा था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक मोरे पी.एस. केस संख्या 22/2023 के संबंध में एफआईआर सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

8. राज्य के विद्वान वकील और विपक्षी पक्षों के विद्वान वकील, दूसरी ओर, बैंक मोरे पी.एस. के संबंध में एफआईआर सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हैं। मामला संख्या 22/2023. माननीय सर्वोच्च न्यायालय **के एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह एवं अन्य** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, (2001) 8 एससीसी 645 में रिपोर्ट किया गया, जिसका पैरा 6 इस प्रकार है:

> *"6. जहां शिकायत में अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार रखे गए हैं, उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो तत्वों को विवरण के साथ नहीं बताया गया है या वर्णित तथ्यों से पक्षों के बीच वाणिज्यिक या धन संबंधी लेन-देन का पता चलता है।"*

विपक्षी पक्ष संख्या के विद्वान वकील 2 का तर्क है कि शिकायत में अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत किए गए हैं, उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो तत्वों को विवरण के साथ नहीं बताया गया है या वर्णित तथ्यों से पक्षों के बीच

वाणिज्यिक या धन लेनदेन का अस्तित्व पता चलता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि पक्षों के बीच विवाद धन से संबंधित है, इससे याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए अपराधों से मुक्त नहीं किया जा सकता है, जो धन लेनदेन से संबंधित हैं।

9. आईपीसी की धारा 415 के दृष्टांत संख्या 'एफ' पर भरोसा करते हुए जो इस प्रकार है:

"f) A जानबूझकर Z को यह विश्वास दिलाकर धोखा देता है कि A का मतलब Z द्वारा उधार दिए गए किसी भी पैसे को चुकाना है और इस तरह बेईमानी से Z को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, जबकि A का इरादा इसे चुकाने का नहीं होता। A धोखा देता है।"

विपक्षी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वे शिकायतकर्ता को 1,80,00,000/- रुपए वापस करना चाहते हैं और इस वादे के आधार पर, सूचना देने वाले ने पैसे उधार दिए और इस तरह याचिकाकर्ताओं ने बेईमानी से सूचना देने वाले को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनका पैसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था, यह धोखाधड़ी के बराबर है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।-

10. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय **ने कृष्ण लाल चावला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2021) 5 एससीसी 435 पैराग्राफ-13 में** रिपोर्ट की है, जिसमें निम्नलिखित पढ़ा गया है:-

"13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनके द्वारा दर्ज की गई नई शिकायत में, प्रतिवादी 2 ने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया है कि उसी घटना के संबंध में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ अपीलकर्ता 1 के बेटे द्वारा दर्ज एनसीआर संख्या 160/2012 (अपराध संख्या 283/2017) के तहत आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। निजी शिकायत में या प्रतिवादी 2 और उनकी पत्नी द्वारा दर्ज धारा 200 सीआरपीसी के तहत बयानों में इस आरोप पत्र का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। वास्तव में, निजी शिकायत और उनकी पत्नी की ओर से दर्ज बयान दोनों में ही केवल यह

कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनके एनसीआर संख्या 158/2012 के तहत जांच जारी है। पत्नी के बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तथ्यों का पूर्ण और सत्य खुलासा करना वादी का परम कर्तव्य है। यह एक घिसी-पिटी कानूनी बात है, तथापि यह दुहराई जाने वाली बात है कि न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तथा इसके साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए (रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 5 एससीसी 536 : (2012) 3 एससीसी (क्रि) 237]; के.डी. शर्मा बनाम सेल [के.डी. शर्मा बनाम सेल, (2008) 12 एससीसी 481])। (जोर दिया गया)"

कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि तथ्यों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना वादी का बाध्यकारी कर्तव्य है और यह सामान्य कानून का मामला है कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों को दबाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अब मामले के तथ्यों पर आते हैं; निर्विवाद तथ्य यह है कि उन्हीं आरोपों के लिए, इस एफआईआर को दर्ज करने से पहले सूचक ने शिकायत मामला संख्या 4593/2022 दायर किया था, जिसे दिनांक 20.07.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और उक्त खारिज करने के आदेश के खिलाफ, सूचक ने Cr. Rev. No. 122/2022 दायर किया, लेकिन इसे भी योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा 26.11.2022 को पारित उक्त पुनरीक्षण आदेश को चुनौती नहीं दी है और इस तथ्य का खुलासा सूचक द्वारा एफआईआर में नहीं किया गया है और यह, इस अदालत की सुविचारित राय में, सूचक द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाने के बराबर है। अन्यथा भी, पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक पैसे का विवाद है और निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ताओं ने पैसे का कुछ हिस्सा चुका दिया है और सूचक की मांग के नोटिस पर अपने वकील के माध्यम से जवाब भेजकर शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप, भले ही पूरी तरह से सत्य माने जाएं, फिर भी, यह आईपीसी की धारा 420 या उस मामले के लिए, आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने से कम है, क्योंकि सबसे अच्छा, यह विश्वासघात का मामला हो सकता है, लेकिन यह बेईमानी से

किए गए गबन से कम है, जो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और यह इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि, सूचनाकर्ता - विपक्षी पार्टी नं। 2 ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसी आरोप के लिए उन्होंने शिकायत मामला दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और उसी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए रिकॉर्ड में सामग्री अपर्याप्त है, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां बैंक मोरे पीएस केस नंबर 22/2023 के संबंध में एफआईआर सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, बैंक मोरे पीएस केस नंबर 22/2023 के संबंध में एफआईआर सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

13. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

14. अलग होने से पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि एफआईआर को रद्द करने और उसे अलग रखने से याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि कोई हो, तो वह उचित सिविल कार्यवाही का सहारा लेकर याचिकाकर्ताओं या उनकी कंपनी से बकाया राशि वसूल कर सकता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 20 दिसंबर, 2023
स्मिता / एएफआर

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।